

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

जिला स्तरीय समिति की प्रस्तावित दर का विवरण

दिनांक 19.12.2014 से लागू

उप – पंजीयक कार्यालय अलवर द्वितीय, जिला अलवर

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | आनन्द विहार | 9110 | 7590 | 11850 | 9900 | 31580 | 27360 | 33160 | 28730 | 30/5 |
| 2 | आनन्द विहार (चौराहे से एक फुट रोड दाऊदपुर तक) | 12760 | 10930 | 15300 | 13150 | 44090 | 33070 | 52900 | 39700 | 20 |
| 3 | आदर्श नगर कालोनी दाऊदपुर | 7730 | 6440 | 9300 | 7750 | 33070 | 26460 | 34730 | 27780 | 20/5 |
| 4 | अम्बेडकर नगर 30 फुट रोड तक | 7590 | 0 | 9100 | 0 | 21260 | 13670 | 25500 | 16400 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | अम्बेडकर नगर 40 फुट रोड तक | 9110 | 0 | 10950 | 0 | 22770 | 0 | 27350 | 0 | 20 |
| 6 | अम्बेडकर नगर 60 फुट रोड तक | 10630 | 0 | 12800 | 0 | 23530 | 0 | 28250 | 0 | 20 |
| 7 | अम्बेडकर नगर 80 फुट रोड तक | 12150 | 0 | 14600 | 0 | 24290 | 0 | 29150 | 0 | 20 |
| 8 | वेयर हाउसिंग (अम्बेडकर नगर के पास) | 9420 | 7900 | 11300 | 9500 | 22020 | 15940 | 26450 | 19150 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | एन०ई०बी० कालोनी (सुभाष नगर) | 12150 | 10630 | 14600 | 12800 | 31760 | 23820 | 38100 | 28600 | 20 |
| 10 | एन०ई०बी० वि० योजना | 7590 | 6080 | 10650 | 8500 | 31430 | 26190 | 33000 | 27500 | 20/5 |
| 11 | एन०ई०बी० हा० बोर्ड | 11390 | 9110 | 13700 | 10950 | 36740 | 31730 | 44100 | 38100 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | एन०ई०बी० सुभाष नगर पुलिया से 200 फुट बाईपास तक | 19740 | 0 | 23700 | 0 | 49930 | 37450 | 59900 | 44950 | 20 |
| 13 | काली मोरी | 5320 | 4560 | 6400 | 5500 | 21940 | 17540 | 26350 | 21050 | 20 |
| 14 | कृ०उ०म० के पास (रोड पर) | 5320 | 3340 | 6400 | 4000 | 33400 | 25050 | 40100 | 30050 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | कृ०उ०म० के अन्दर | 0 | 0 | 0 | 0 | 27330 | 27330 | 32800 | 32800 | 20 |
| 16 | ट्रांसपोर्ट नगर – ए | 2740 | 2130 | 3550 | 2800 | 12630 | 10520 | 16400 | 13700 | 30 |
| 17 | ट्रांसपोर्ट नगर – बी | 2130 | 1830 | 2800 | 2400 | 10020 | 9020 | 13050 | 11750 | 30 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | देहली रोड (पुराने रेलवे फाटक से बख्तल की चौकी तक) | 6680 | 5620 | 9350 | 7900 | 33070 | 26460 | 39700 | 31750 | 40/20 |
| 19 | नेमीचन्द मार्केट | 5320 | 3800 | 6400 | 4600 | 33480 | 23910 | 40200 | 28700 | 20 |
| 20 | फतेहसिंह गुम्बद | 7590 | 6840 | 9100 | 8200 | 28820 | 23050 | 34600 | 27700 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | मत्स्य औ० क्षेत्र | 3650 | 3650 | 4400 | 4400 | 6380 | 6380 | 7700 | 7700 | 20 |
| 22 | पुराना औ० क्षेत्र | 3650 | 3650 | 4400 | 4400 | 6380 | 6380 | 7700 | 7700 | 20 |
| 23 | रणजीत नगर | 7590 | 6080 | 10650 | 8500 | 17640 | 13240 | 21200 | 15900 | 40/20 |
| 24 | वैशाली नगर 30 फुट रोड पर | 6840 | 0 | 8200 | 0 | 11390 | 0 | 13700 | 0 | 20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | वैशाली नगर 40 फुट रोड पर | 7590 | 0 | 9100 | 0 | 12150 | 0 | 14600 | 0 | 20 |
| 26 | वैशाली नगर 60 फुट रोड पर | 9110 | 0 | 10950 | 0 | 15180 | 0 | 18250 | 0 | 20 |
| 27 | वैशाली नगर 80 फुट रोड पर | 10630 | 0 | 12800 | 0 | 18220 | 0 | 21900 | 0 | 20 |
| 28 | सूर्य नगर 30 फुट रोड पर | 6840 | 0 | 9600 | 0 | 25050 | 0 | 30100 | 0 | 40/20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | सूर्य नगर 40 फुट रोड पर | 7590 | 0 | 10650 | 0 | 25810 | 0 | 31000 | 0 | 40/20 |
| 30 | सूर्य नगर 60 फुट रोड पर | 9110 | 0 | 12750 | 0 | 26570 | 0 | 31900 | 0 | 40/20 |

सम्पत्तियों की बाजार दर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी की दरे प्रति वर्ग गज में (प्रस्तावित)

कार्यालय उप पंजीयक, द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | नाम ग्राम / क्षेत्र / सैक्टर | आवासीय | | | | वाणिज्यिक | | | | मत्स्य औ. क्षेत्र रिको | | प्रतिशत वृद्धि | |
|----------|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|-------|
| | | प्रचलित दरें | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ | | प्रचलित दर | अनुमोदनार्थ | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | सूर्य नगर 80 फुट रोड पर | 10630 | 0 | 14900 | 0 | 27330 | 0 | 32800 | 0 | | | | 40/20 |
| 2 | पैराफेरी क्षेत्र में बिल्डर द्वारा निर्मित फ्लैट | 13670 | 0 | 16400 | 0 | 30360 | 0 | 36450 | 0 | | | | 20 |
| 3 | शहरी क्षेत्र में बिल्डर्स द्वारा निर्मित फ्लैट्स | 19740 | 0 | 23700 | 0 | 39470 | 0 | 47400 | 0 | | | | 20 |
| 4 | मत्स्य औ० क्षेत्र रिको | | | | | | | | | 2050 प्रति वर्ग मीटर | 3000 प्रति वर्ग मीटर | | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--|---|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि का बेचान | | | | | | |
| 1 | किटोडा | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लाटिंग | 1630 | 1430 | 2000 | 1750 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लाट | 4560 | 3800 | 5500 | 4600 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लाट | 12130 | 9100 | 14600 | 10950 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लाट | 6080 | 5060 | 8550 | 7100 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 2 | खुदनपुरी | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लाटिंग | 2130 | 1830 | 2600 | 2200 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लाट | 4560 | 3340 | 5500 | 4000 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लाट | 12130 | 9100 | 14600 | 10950 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लाट | 6080 | 5060 | 8550 | 7100 | 40 |
| 3 | घेघोली | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लाटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1070 | 990 | 1500 | 1400 | 40 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लाट | 1670 | 1370 | 2350 | 1950 | 40 |
| C | वाणिज्यिक प्लाट | 6080 | 3250 | 8550 | 4550 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लाट | 2040 | 1630 | 2900 | 2300 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 4 | तूलेडा | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2280 | 1830 | 2750 | 2200 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 2740 | 2130 | 3600 | 2800 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 8100 | 4860 | 9750 | 5850 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3040 | 2040 | 4600 | 3100 | 50 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 5 | दाऊदपुर व नंगली | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2130 | 1830 | 2600 | 2200 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 4560 | 3500 | 5500 | 4200 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 27560 | 22050 | 33100 | 26500 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 6080 | 5060 | 8550 | 7100 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 6 | दिवाकरी | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2130 | 1670 | 2600 | 2000 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 4560 | 3500 | 5500 | 4200 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 13240 | 11030 | 15900 | 13250 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 6620 | 5520 | 7950 | 6650 | 20 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 7 | देसूला | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1520 | 1370 | 1850 | 1650 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 3650 | 3040 | 4400 | 3650 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 8100 | 6080 | 9750 | 7300 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 5060 | 4060 | 6100 | 4900 | 20 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 8 | देवखेडा | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1070 | 920 | 1500 | 1300 | 40 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 1980 | 1670 | 2800 | 2350 | 40 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 6620 | 4860 | 9300 | 6800 | 40 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 2660 | 2220 | 3750 | 3100 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 9 | बल्ला बोडा | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2740 | 2130 | 3300 | 2600 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 3340 | 2740 | 4350 | 3600 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 8100 | 7290 | 11350 | 10200 | 40 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3650 | 2840 | 5100 | 4000 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 10 | भूगोर | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2590 | 1520 | 3100 | 1850 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 3100 | 2660 | 4050 | 3500 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 6620 | 5520 | 7950 | 6650 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3100 | 2660 | 4600 | 3950 | 48 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 11 | मूंगसका | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 2740 | 2130 | 3300 | 2600 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 4860 | 3650 | 5850 | 4400 | 20 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 25260 | 20210 | 30300 | 24250 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 6080 | 5060 | 8550 | 7100 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 12 | मन्नाका | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1670 | 1370 | 2000 | 1650 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 3040 | 2280 | 3950 | 3000 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 6080 | 4860 | 7300 | 5850 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3650 | 2840 | 5100 | 4000 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 13 | सामोला | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1830 | 1370 | 2200 | 1650 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 3040 | 2280 | 3950 | 3000 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 6080 | 4060 | 7300 | 4900 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3040 | 2450 | 4300 | 3450 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 14 | बेलाका एवं बेरका | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1520 | 1370 | 1850 | 1650 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 4060 | 3040 | 4900 | 4300 | 40 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 8100 | 6080 | 9750 | 7300 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 5060 | 4060 | 7100 | 5700 | 40 |

आवासीय एवं व्यवसायिक दर (प्रति वर्गगज में)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय

| दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी | | पैराफैरी क्षेत्र | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| क्र० सं० | नाम (ग्राम) | प्रचलित दर | | अनुमोदनार्थ दर | | |
| | | सडक के पास | सडक से दूर | सडक के पास | सडक से दूर | |
| 15 | पालका व नाहरपुर | | | | | |
| A | अधिक खरीददार एक ही दस्तावेज जो कृषि योग्य भूमि प्लॉटिंग (1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि बेचान) | 1520 | 1220 | 1850 | 1500 | 20 |
| B | कृषि भूमि के अलग-2 प्लॉट | 2280 | 1830 | 3000 | 2400 | 30 |
| C | वाणिज्यिक प्लॉट | 5320 | 4560 | 6400 | 5500 | 20 |
| D | कन्वर्ट शुदा प्लॉट | 3040 | 2280 | 4300 | 3200 | 40 |

कृषि भूमि बाईपास हाईवे पर मुख्य सडक पर स्थित गावों की दर (प्रति बीघा)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र०सं० | नाम ग्राम | प्रचलित दर सडक के पास | सडक से लगता हुआ ख०न० अनुमोदनार्थ 100 मीटर तक | प्रचलित दर दूर (मुख्य सडक से 200 मीटर) | सडक से लगता हुआ ख०न० 101 मीटर से 500 मीटर तक अनुमोदनार्थ | प्रतिशत वृद्धि |
|---------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|----------------|
| 1 | कीटोडा | 4554000 | 5464800 | 3643200 | 4371840 | 20 |
| 2 | खुदनपुरी | 4554000 | 5464800 | 3643200 | 4371840 | 20 |
| 3 | घेघोली | 3643200 | 4371850 | 3036000 | 3643200 | 20 |
| 4 | दिवाकरी | 4098600 | 4918350 | 3036000 | 3643200 | 20 |
| 5 | देसूला | 3643200 | 4371850 | 3036000 | 3643200 | 20 |
| 6 | देसूला एमआईए को जाने वाली सडक पर | 3036000 | 3643200 | 2732400 | 3278900 | 20 |
| 7 | देवखेडा | 5161200 | 6193450 | 4554000 | 5464800 | 20 |
| 8 | भूगोर | 5054940 | 6065950 | 3339600 | 4007550 | 20 |

कृषि भूमि बाईपास हाईवे पर मुख्य सडक पर स्थित गावों की दर (प्रति बीघा)

कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय अलवर

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र०सं० | नाम ग्राम | प्रचलित दर सडक के पास | सडक से लगता हुआ ख०नं० अनुमोदनार्थ 100 मीटर तक | प्रचलित दर दूर (मुख्य सडक से 200 मीटर) | सडक से लगता हुआ ख०नं० 101 मीटर से 500 मीटर तक अनुमोदनार्थ | प्रतिशत वृद्धि |
|---------|-----------|-----------------------|---|--|---|----------------|
| 9 | बेलाका | 4037880 | 4845500 | 3643200 | 4371850 | 20 |
| 10 | मूंगस्का | 5054940 | 6065950 | 3643200 | 4371850 | 20 |
| 11 | सामोला | 5054940 | 6065950 | 3643200 | 4371850 | 20 |
| 12 | तूलेडा | 5161200 | 6193450 | 3643200 | 4371850 | 20 |
| 13 | बल्लाबोडा | 5054940 | 6065950 | 3643200 | 4371850 | 20 |

जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति के प्रस्तावित दर
डी एल सी की दर प्रति बीघा
कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | गांव का नाम | आबादी डीएलसी की दर | अनुमोदनार्थ | प्रचलित दर | | | | अनुमोदनार्थ दर | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | |
| | | | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ईटाराणा | 790 | 950 | 1062600 | 910800 | 759000 | 728640 | 1275150 | 1093000 | 910800 | 874400 | 20 |
| 2 | कैरवा जाट | 540 | 650 | 455400 | 409860 | 440220 | 364320 | 546500 | 491850 | 528300 | 437200 | 20 |
| 3 | ककराली जाट | 540 | 650 | 409860 | 364320 | 364320 | 303600 | 491850 | 437200 | 437200 | 364350 | 20 |
| 4 | कीटोडा | 0 | 0 | 2808300 | 2641320 | 2641320 | 1973400 | 3370000 | 3169600 | 3169600 | 2368100 | 20 |
| 5 | कैमाला | 540 | 650 | 1047420 | 986700 | 986700 | 607200 | 1256900 | 1184050 | 1184050 | 728650 | 20 |
| 6 | खुदनपुरी | 0 | 0 | 2383260 | 2383260 | 2049300 | 1548360 | 2859950 | 2859950 | 2459200 | 1858050 | 20 |
| 7 | गुंदपुर | 990 | 1200 | 728640 | 698280 | 698280 | 576840 | 874400 | 837950 | 837950 | 692250 | 20 |
| 8 | खैडली सैयद | 790 | 950 | 528270 | 470580 | 470580 | 409860 | 633950 | 564700 | 564700 | 491850 | 20 |
| 9 | गूजूकी | 540 | 650 | 409860 | 394680 | 394680 | 318780 | 491850 | 473650 | 473650 | 382550 | 20 |
| 10 | घेघोली | 0 | 0 | 971520 | 804540 | 713460 | 637560 | 1165850 | 965450 | 856150 | 765100 | 20 |
| 11 | झारेडा | 840 | 1000 | 1244760 | 1092960 | 956340 | 880440 | 1493700 | 1311550 | 1147600 | 1056550 | 20 |

जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति के प्रस्तावित दर
डी एल सी की दर प्रति बीघा
कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | गांव का नाम | आबादी डीएलसी की दर | अनुमोदनार्थ | प्रचलित दर | | | | अनुमोदनार्थ दर | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | |
| | | | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | डाडा | 540 | 650 | 409860 | 394680 | 394680 | 364320 | 491850 | 473650 | 473650 | 437200 | 20 |
| 13 | तूलेडा (रोड तूलेडा व अन्दर) | 0 | 0 | 1745700 | 1502820 | 1214400 | 956340 | 2094850 | 1803400 | 1457300 | 1147650 | 20 |
| 14 | दाउदपुर | 0 | 0 | 2277000 | 2079660 | 2079660 | 1943040 | 2732400 | 2495600 | 2495600 | 2331650 | 20 |
| 15 | दिवाकरी | 0 | 0 | 2368080 | 2277000 | 1396560 | 1366200 | 2841700 | 2732400 | 1675900 | 1639450 | 20 |
| 16 | देसूला | 0 | 0 | 2277000 | 2049300 | 1882320 | 1760880 | 2732400 | 2459200 | 2258800 | 2113100 | 20 |
| 17 | देवखेडा | 0 | 0 | 2149490 | 1571130 | 1502820 | 1014030 | 2579400 | 1885400 | 1803400 | 1216850 | 20 |
| 18 | नंगलीराजावत | 540 | 650 | 470580 | 409860 | 409860 | 349140 | 564700 | 491850 | 491850 | 419000 | 20 |
| 19 | नाहरपुर | 0 | 0 | 728640 | 683100 | 683100 | 637560 | 874400 | 819750 | 819750 | 765100 | 20 |
| 20 | ऐ बल्लाबोडा | 0 | 0 | 2975280 | 2644360 | 1984030 | 1653110 | 3570350 | 3173250 | 2380850 | 1983750 | 20 |
| 21 | बी बल्लाबोडा | 0 | 0 | 2975280 | 2644360 | 0 | 0 | 3570350 | 3173250 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | भजीट | 540 | 650 | 789360 | 759000 | 743820 | 599610 | 947250 | 910800 | 892600 | 719550 | 20 |
| 23 | भूगोर | 0 | 0 | 1997690 | 1871700 | 1560510 | 1454250 | 2397250 | 2246050 | 1872650 | 1745100 | 20 |

जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति के प्रस्तावित दर
डी एल सी की दर प्रति बीघा
कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | गांव का नाम | आबादी डीएलसी की दर | अनुमोदनार्थ | प्रचलित दर | | | | अनुमोदनार्थ दर | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | |
| | | | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | पालका | 0 | 0 | 1056530 | 959380 | 743820 | 640600 | 1267850 | 1151300 | 892600 | 768750 | 20 |
| 25 | बेलाका | 0 | 0 | 2614000 | 2079660 | 1663730 | 1560510 | 3136800 | 2495600 | 1996500 | 1872650 | 20 |
| 26 | बेरका | 0 | 0 | 1200740 | 1082340 | 845530 | 727130 | 1440900 | 1298850 | 1014650 | 872600 | 20 |
| 27 | मूंगसका | 0 | 0 | 2079660 | 1871700 | 1768470 | 1560510 | 2495600 | 2246050 | 2122200 | 1872650 | 20 |
| 28 | डूमेडा | 760 | 900 | 704360 | 528270 | 607200 | 440220 | 845250 | 633950 | 728650 | 528300 | 20 |
| 29 | मदनपुरी | 540 | 650 | 789360 | 759000 | 755970 | 599610 | 947250 | 910800 | 907200 | 719550 | 20 |
| 30 | मन्नाका | 0 | 0 | 991260 | 827310 | 827310 | 727130 | 1189550 | 992800 | 992800 | 872600 | 20 |
| 31 | सालपुरी | 540 | 650 | 479690 | 440220 | 440220 | 379500 | 575650 | 528300 | 528300 | 455400 | 20 |

जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति के प्रस्तावित दर
डी एल सी की दर प्रति बीघा
कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय

दिनांक : 19.12.2014 से प्रभावी

| क्र० सं० | गांव का नाम | आबादी डीएलसी की दर | अनुमोदनार्थ | प्रचलित दर | | | | अनुमोदनार्थ दर | | | | प्रतिशत वृद्धि |
|----------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | आबादी सडक के पास | | आबादी सडक से दूर | | |
| | | | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | सामोला | 0 | 0 | 1479030 | 1333510 | 1212280 | 909210 | 1774850 | 1600250 | 1454750 | 1091050 | 20 |

विशिष्ट नोट:-

1. शहर की कालोनियों में मुख्य सडक पर अर्थात् 30 फुट से बडी सडक पर खुलने वाली सम्पत्तियों को सडक के पास माना जाना तथा 30 फुट या इससे छोटी सडक पर खुलने वाली सम्पत्तियों को सडक से दूर माना जाना प्रस्तावित है ।
2. दुकान के आगे की चबूतरी की भूमि की कीमत निर्धारण के मामले में मुख्य सडक की भूमि की डी०एल०सी० की दर का 40 प्रतिशत की दर से लेते हुए मालियत निर्धारित के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । चबूतरी से आशय खुली चबूतरी है बरामदा शामिल नहीं है ।
3. कार्नर के भूखण्ड का मूल्यांकन 10 प्रतिशत अधिक दर से किया जाना प्रस्तावित है । आवागमन के काम में आने वाली गली को ही कॉर्नर माना जावोगा । बंद गली को कॉर्नर नहीं माना जाना प्रस्तावित है ।
4. कुआ कीमत 1,50,000/- बोरिंग मय कनैक्शन 225000/- की कीमत प्रस्तावित है ।
5. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एवं पुराना औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि की डी०उल०सी० दर रीको की आरक्षित दर से कम होने पर रीको की आरक्षित दर मान्य होगी ।
6. जिन ग्रामों में कर्चेटड (रूपान्तरित) भूखण्डों की दरे तय नहीं है वहां रूपान्तरित भूखण्डों की दर कृषि भूमि के भूखण्डो की प्रचलित डी०एल० सी० दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाकर मूल्यांकन किया जावेगा ।